प्रेस विज्ञप्ति
06-02-2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में "दोहरे धन" घोटाले के संबंध में अजय टिडके और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, जबलपुर में 30.01.2026 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इसके बाद आरोपियों को पूर्व-संज्ञान सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

ईडी ने बालाघाट जिले के लांजी और किरनापुर पुलिस स्टेशनों द्वारा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 की धारा 21(1) और 21(2) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता, 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि अजय टिडके और अन्य लोगों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लगभग छह महीने तक धोखाधड़ी वाली "डबल मनी" योजना चलाई, जिसके दौरान आम जनता को थोड़े समय में उनके पैसे को दोगुना करने के झूठे आश्वासन देकर निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। आरोपियों ने संयुक्त रूप से एक अनियमित जमा योजना चलाई, जिसमें गारंटीकृत रिटर्न का झूठा आश्वासन दिया गया और निवेश की गई राशि को दोगुना करने के लिए पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए गए। यह पता चला कि निवेशकों से लगभग 1,450 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे।

जांच के दौरान, ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने दो अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किए, **जिनमें 25 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया, जिनका मूल्य 2.98 करोड़ रुपये और चल संपत्तियों का मूल्य 1.50 करोड़ रुपये (कुल मिलाकर 4.48 करोड़ रुपये) था।** इनमें से एक पीएओ की पुष्टि माननीय निर्णयन प्राधिकरण, पीएमएलए के द्वारा पहले ही कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, सक्षम अधिकारियों द्वारा जब्त/अटैच की गई निम्नलिखित संपत्तियों को भी पीएमएलए, 2002 के तहत केंद्र सरकार से जब्त करने का अनुरोध किया गया है:

• महेश टिडके, अजय टिडके, टिडके ब्रदर्स और अन्य संबंधित संस्थाओं के नाम पर बैंक खातों में जमा राशि, जिसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया था, [बीयूडीएस अधिनियम, 2019 और आईपीसी, 1860 के प्रावधानों के तहत **12.91 करोड़ रुपये** की राशि फ्रीज कर दी गई है।

• आरोपियों के परिसर से बरामद **11.89 करोड़ रुपये** की नकदी को अनियमित जमा योजना की आय और आरोपियों द्वारा अधिग्रहित **54 अचल संपत्तियों** के रूप में पहचाना गया।

जांच में यह भी साबित हुआ कि आरोपियों ने बिना किसी वैध व्यावसायिक गतिविधि के, असामान्य रूप से उच्च प्रतिफल के झूठे वादे करके बड़ी संख्या में निवेशकों से सुनियोजित रूप से जमा राशि एकत्र की। इस प्रकार एकत्रित धन को आरोपियों, उनके परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और नियंत्रित संस्थाओं के नाम पर मौजूद कई बैंक खातों के माध्यम से हेराफेरी, दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, जिससे अपराध की आय को जानबूझकर छिपाने, कई स्तरों पर इस्तेमाल करने और एकीकृत करने के प्रमाण मिलते हैं।

यह भी पता चला कि अपराध से प्राप्त धन का उपयोग आरोपियों, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था। जांच के दौरान निवेशकों के धन को इन संपत्तियों से जोड़ने वाला एक स्पष्ट, निरंतर और अटूट धन प्रवाह स्थापित किया गया।